प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, बरेली, देवीपाटन, बस्ती एवं गोरखपुर।
2. **मुख्य चिकित्साधिकारी,** जनपद—वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थ नगर एवं महाराजगंज।

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019—20 / 16 / 9128-2 दिनांकः 03-02-2020

विषयः— चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2020 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 27.01.2020 को नोवेल कोरोना वायरस से बचाव—प्राथमिक तैयारियां एवं सावधानियां विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में जनपद—वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थ नगर एवं महाराजगंज के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मण्डलीय पर्यटन अधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक—जिला स्तरीय चिकित्सालय के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019—20 / 16 / तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / सिफ्सा।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
11. संबंधित पंचायत राज अधिकारी / मण्डलीय पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. संबंधित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
13. संबंधित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरुष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, बरेली, देवीपाटन, बस्ती एवं गोरखपुर।
2. **मुख्य चिकित्साधिकारी,** जनपद–वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थ नगर एवं महाराजगंज।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / दिनांकः 03-02-2020

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2020 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 27.01.2020 को नोवेल कोरोना वायरस से बचाव–प्राथमिक तैयारियां एवं सावधानियां विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में जनपद–वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थ नगर एवं महाराजगंज के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मण्डलीय पर्यटन अधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक–जिला स्तरीय चिकित्सालय के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

/

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / एम.एण्ड ई. / 2019–20 / 16 / 9128-2(13) तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
7. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / सिफ्सा।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम, उत्तर प्रदेश।
11. संबंधित पंचायत राज अधिकारी / मण्डलीय पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. संबंधित मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
13. संबंधित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

(डा0 अनामिका मिश्रा)
महाप्रबन्धक, एम0 एण्ड ई0

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 27 जनवरी 2020 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 27 जनवरी 2020 को **नोवेल कोरोना वायरस से बचाव–प्राथमिक तैयारियां एवं सावधानियां** विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, अपर मिशन निदेशक–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशक–संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में जनपद वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, मण्डलीय पर्यटन अधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक–जिलास्तरीय चिकित्सालय के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग बैठक के दौरान 11 जनपदों से कोरोना वाइरस से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों पर चर्चा की गयी तथा निम्न निर्देश दिये गये–

1. सर्वप्रथम जनपदों को नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में बतलाया गया। इसके उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के विषय में अवगत कराया गया। निर्देशित किया गया कि चिकित्सा अनुभाग–5 के कार्यालय पत्रांक–153/पांच–5–2020 दिनांक 26 जनवरी 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. निर्देशित किया गया कि रोग के प्रसार से बचाव हेतु प्रेवेन्टिव मेजर्स यथा; एन–95 मास्क, पी0पी0ई0 किट तथा यदि कोई संदिग्ध रोगी जिसे इस रोग के लक्षण प्रदर्शित होते है, उनकी जॉच हेतु स्वाब नमूनों को एकत्र करने हेतु वी0टी0एम0 की उपलब्धता तथा ट्रिपल लेयर्ड मास्क आदि की पर्याप्त मात्रा में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
3. निदेशक संचारी रोग द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु राज्य बजट के अंतर्गत औषधि रसायन 04/39 बजट हेड में बजट उपलब्ध है।
4. संदिग्ध रोगियों के ट्रान्सपोर्टेशन हेतु डेडिकेटेड एम्बुलेंस की व्यवस्था और प्रत्येकरोगी के परिवहन के पश्चात विसंक्रमीकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। जनपदीयं चिकित्सकों एवं पैराचिकित्सकों का इनफेक्शन कंट्रोल प्रोटोकोल एवं इस रोग के प्रति संवेदीकरण सुनिश्चित कर लिया जाए।
5. जनपदीय प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क रखते हुये ऐसे व्यक्ति जिनकी विगत 14 दिवसों में चाइना की यात्रा की हिस्ट्री अथवा चाइना से आये व्यक्तियों के सम्पर्क में आया हो तथा उसमें इस रोग के लक्षण परलक्षित होते हों, उनको अविलम्ब आइसोलेट किया जाना एवं अन्य सम्पर्क वाले व्यक्ति जिसमें रोग के लक्षण परलक्षित न हो उनकीआगामी 28 दिवसों तक प्रतिदिन के आधार पर फोलो–अप किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को प्रतिदिन के आधार पर सूचित किया जाए। शून्य की दशा में भी सूचना प्रतिदिन के आधार पर राज्य मुख्यालय को सूचित किया जाए।
6. जनपद में चिन्हित रोगियों हेतु आइसोलेशन वार्ड बना लिया जाये तथा चिन्हित रोगी को पूर्ण रूप से आइसोलेट करके उपचार किया जाना सुनिश्चित करें। चिन्हित रोगी की आवश्यक जांच करवाते हुये पुष्टि हेतु सैम्पल पुणे की प्रयोगशाला में भेजने की कार्यवाही करें।
7. नेपाल देश में एन–कोरोनावायरस के संदिग्ध रोगी सूचित होने के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि नेपाल सीमावर्ती जनपदों विशेषकर जनपद, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी,

महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत एवं बलरामपुर के समस्त सीमावर्ती गॉवों/कस्बों/पंचायतों में इस रोग के प्रभावी बचाव हेतु भारत सरकार के स्तर से उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशानुसार समस्त जन–सामान्य को ग्रामसभाओं के माध्यम से स्थानीय आशा/ए0एन0एम0, स्वास्थ्य कार्यकताओं का सहयोग लेते हुये संवेदीकृत किये जाने हेतु जनपदीय प्रशासन/अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह संवेदीकरण अनिवार्य रूप से माह जनवरी के अन्त तक अभियान के रूप में पूर्ण कर लिया जाए।

8. संवेदीकरण अभियान के दौरान रोग के प्रसार को रोकने हेतु व्यक्गित स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया जाए।
9. यदि संवेदीकरण के दौरान ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा विगत 14 दिवसों में स्वयं चीन की यात्रा की गयी हो अथवा वह चीन की यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हो और उसमें इस रोग के कोई भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उस व्यक्ति की पूर्ण जानकारी (नाम, स्थानीय पता, नेपाल का पता, स्थानीय तथा नेपाल का मोबाइल नंबर) सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से राज्य मुख्यालय को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
10. नेपाल सीमा से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग अवश्य करायी जाये। इसके लिये प्रत्येक चेक–पोस्ट पर एस0एस0बी0 के साथ चिकित्सक दल को नियुक्त किया जाये। साथ ही साथ चेकपोस्ट पर लाउडस्पीकर इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी की जाये।
11. नेपाल सीमा के चेकपोस्ट पर भी एडवाइजरी लगायी जानी है। यदि कोई सम्भावित रोगी आता है तो उसे विशेष एम्बुलेंस के माध्यम से आइसोलेशन वार्ड वाले स्वास्थ्य इकाई पर सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
12. आगरा, लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी के एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था करते हुये चीन से आने वाले यात्रियों की चिकित्सीय जांच कराने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित जनपदों में आने वाले यात्रियों में से गत एक माह में चीन की यात्रा करने वाले यात्रियों से **Self Decleration** भरवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. माघ मेले में चीन या नेपाल से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवा दें तथा मेले में प्रचार–प्रसार भी करवायें।
14. निर्देशित किया गया कि नेपाल से उत्तर प्रदेश में उपचार कराने के लिये आने वाले रोगियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें। साथ ही साथ निजी चिकित्सकों के साथ बैठक करते हुये निर्देशित करें कि संदिग्ध रोगियों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाये।
15. सम्बन्धित जनपदों को निर्देशित किया गया कि होटलों एवं धर्मशालाओं में भी एडवाइजरी जारी करवा दी जाये तथा यदि होटलों एवं धर्मशालाओं में कोई यात्री बीमार पड़ता है तो तुरन्त मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित करने के निर्देश दे दिये जायें।
16. निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित जनपदों में पर्याप्त मात्रा में एन–95 मास्क, वी0टी0एम0 वॉयल, प्रोटेक्टिंग गाउन एवं ट्रिपल लेयर मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सीमा क्षेत्र में झोला छाप चिकित्सकों पर नियंत्रण करने हेतु छापेमारी के लिये निर्देशित किया गया।
17. प्रकाश में आया कि दिनांक 30जनवरी 2020 को जनपद बहराइच में इण्डो नेपाल समिट का आयोजन किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि समिट में भी इसका प्रचार–प्रसार करवाने की व्यवस्था की जाये तथा संदिग्ध व्यक्ति की जांच की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

18. निर्देशित किया गया कि ट्रैवल आपरेटर के साथ एक बैठक करके निर्देशित कर दिया जाये कि यदि कोई यात्री संदिग्ध पाया जाता है या तबीयत खराब होती है, तो इसकी सूचना तुरन्त मुख्य चिकित्साधिकारी को दी जानी सुनिश्चित करें।
19. सम्बन्धित जनपदों में व्यक्तिगत साफ–सफाई (Personnel Hygine) हेतु भी प्रचार–प्रसार करवाया जाये।

अन्त में निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।